राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, (आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 179/2024

उनवान

विक्रम जांगिड़ बनाम अनुभव वगै0

विक्रम जांगिड़ पुत्र श्री बृजमोहन, निवासी पदमपुरा तहसील व जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी

बनाम

1. अनुभव पुत्र श्री चन्दसिंह, निवासी गन्नी कॉलोनी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. गौरीशंकर पुत्र श्री गोपीराम, निवासी मोडा पहाड बस्ती तहसील व जिला झुन्झुनूं
3. चन्दा देवी पत्नी श्री रामनिवास, निवासी मण्ड्रेला रोड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं
4. प्रेमलता पत्नी शिवकरण, निवासी मण्ड्रेला रोड़ झुन्झुन, तहसील व जिला झुंझुनूं ।
5. महादेवराम पुत्र श्री जोरूराम निवासी भूरासर का बास, तहसील व जिला झुंझुनू ।
6. रमेश कुमार पुत्र श्री भागचन्द, निवासी पास झुन्झुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. रीना देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार, टेकड़ीवाल निवासी – खेतानों का मोहल्ला वार्ड नं 31 झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. शकुन्तला जाखड पत्नी श्री देवकरण सिंह जाखड, निवासी दिलावरपुरा, तहसील चिड़ावा जिला – झुंझुनूं।
9. शंकरलाल पुत्र श्री भगवानाराम, निवासी सैनीपुरा मण्ड्रेला बाई पास रोड़ अग्रसेन सर्कल के पास झुन्झुनु तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. सुरेश कुमार पुत्र झाबर, निवासी दोरासर तहसील व जिला झुंझुनूं ।
11. राजस्थान सरकार जारिए भूमिघारी तहसीलदार, तहसील व जिला झुंझुनूं ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबतः घोषणार्थ एंव रिकार्ड दुरूस्ती

विवेचन　　　　दिनांक 7/11/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्णित जमीन खसरा नम्बर 158/1653, 168/1653 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 433 रकबा 0.45 है0, 434 रकबा 0.03 है0, 4936/468 रकबा 1.52 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 है0 भूमि सरहद राजस्व ग्राम (कस्बा) झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनू में स्थित है। जमीन वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र पर संवत 2012 से रामनिरजन पुत्र रामेश्वर उप कृषक का कब्जा काश्त होने व राजस्व रिकॉर्ड में उपकृषक दर्ज होने से उक्त जमीन अन्तर्गत धारा 15 राजस्थान टेनेन्सीएक्ट 1955 के तहत बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में रामनिंरजन पुत्र रामेश्वर के नाम दर्ज रही है। जमीन वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र जमाबन्दी सम्वत 2012,

संवत 2024 से 2027, संवत 2028 से 2031, 2032 में रामनिरजन पुत्र रामेश्वर के नाम दर्ज रही है। भूमि वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र के हॉल खसरा नं. में वादी व प्रतिवादीगण सख्यां 1 लगायत 10 जरिए विक्रय पत्र क्रय की गई भूमि से (बतौर हैसियत क्रेता) खातेदार व कब्जा कांश्तकार बनें। भूमि वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के बीच में कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। भूमि वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र के दौराने पैमाईश राजस्व रिकार्ड दर्ज किए जाने पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाल खसरा नं. 433 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, हाल खसरा नं. 434 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, हाल खसरा नं. 4936/468 रकबा 1.4315 हेक्टेयर दर्ज किए। चूंकि उक्त खसरा नं. में दर्ज रकबा सहवन से दर्ज किए जाने पर हाल खसरा नं. में दर्ज भूमि मौके पर वास्तविकता से हट कर दर्ज की है दौराने पैमाईस दर्ज रकबा का उपरोक्त हाल खसरा नम्बर की मौके पर मौजूद भूमि के क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है सहवन से दर्ज रकबा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के हितो पर प्रतिकूल असर डालता है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। भूमि वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र का राजस्व रिकोर्ड मौके पर स्थित भूमि के अनुसार निम्न प्रकार दर्ज होना चाहिए था। परन्तु सहवन से उपरोक्त खसरा नं. की भूमि राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज कर दी गई। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार हाल खसरा नं. 433 में 0.45 हेक्टेयर भूमि दर्ज की गई है जबकि मौके पर हाल खसरा नं. 433 में 0.03 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर मकान बने हुए है। वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र के हाल खसरा नं. 434 में मौके पर स्थित भूमि अनुसार बिना मौके रिपोर्ट तैयार कर सहवन से 0.03 हेक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई जो कि वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के हितो के प्रतिकूल है। वर्तमान में उक्त 1.52 हेक्टेयर भूमि में से 0.7234 हेक्टेयर भूमि सड़क जाने से शेष बची भूमि 0.7966 हेक्टेयर है। वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र के हाल खसरा नं. 4936/468 में 1.4315 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। जबकि मौके पर उक्त खसरा नं. में 0.45 हेक्टेयर भूमि है। जो कि राजस्व रिकार्ड में 0.45 हेक्टेयर ही दर्ज की जानी चाहिए थी। उक्त 0.45 हेक्टेयर भूमि में से 0.0885 हेक्टेयर भूमि सड़क में जाने से उसके हाल खसरा नं. 4935/468 बने व खातेदारी में दर्ज खसरा नं. 4936/468 बने मौके पर खसरा नं. 468 स्थित भूमि अनुसार 0.45 हेक्टेयर भूमि मे से 0.0885 हेक्टेयर भूमि सड़क में दर्ज होने से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खसरा नं. 4936/468 में 0.3615 हेक्टेयर भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी परन्तु सहवन से उक्त खसरा नं. में 1.4315 हेक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर उक्त खसरा नं. में यह भूमि मौजूद नही है। भूमि वर्णित मद सख्या 1 वाद पत्र के हाल खसरा नं. में दर्ज हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 10 के हितो के प्रतिकूल होने से शून्य है जिसको दुरस्त किया जाकर मौके पर हाल खसरा नं. में मौजूद भूमि अनुसार निम्न प्रकार से खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्यायासंगत है। हाल खसरा नं. 433 में दर्ज भूमि 0.4500 हेक्टेयर की जगह 0.03 हेक्टेयर, हाल खसरा नं. 434 में दर्ज भूमि 0.0300 हेक्टेयर की जगह 1.52 हेक्टेयर भूमि जिसमे से 0.7234 हेक्टेयर भूमि सड़क मे जाने से शेष बची भूमि 0.7966 हेक्टेयर व हॉल खसरा नं. 468 में मौके पर मौजूद भूमि 045 हेक्टेयर मे से 0.08 हेक्टेयर भूमि सडक में जाने से हॉल खसरा नं. 4936/468 में 0.3615 हेक्टेयर भूमि दर्ज किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। दिनांक 01/05/2024 को वादी ने भूमि सुधार हेतु व सिंचाई कार्य हेतु सम्बधित बैंक से ऋण लेने हेतु तहसीदार महोदय झुंझुनूं को अपने हिस्से कि भूमि पर उक्त कार्य करने हेतु इजाजत सम्बन्धि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो वादी को हुक्म हुआ कि वह अदालत में दावा दायर कर निर्माण सुधार हेतु सम्बन्धित राजस्व रिकोर्ड सम्बन्धित बैंक में प्रार्थना पत्र पेश करे। वादी ने जब अपनी कब्जे काश्त कि जमीन का राजस्व रिकोर्ड कि नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तो नकल लेने के पश्चात वादी को ये ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकोर्ड में भूमि गलत इन्द्राज कर दी गई है। उपरोक्तनुसार राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही व सहवनवश उक्त राजस्व रिकार्ड बमुताबिक मौका राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज न होकर उक्त प्रकार से दर्ज हो गया जिस पर वादी को उक्त रिकार्ड दुरूस्ती बाबत यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यहां यह दर्ज करना भी न्यायसंगत हो गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को उक्त रिकोर्ड दुरुस्ती बाबत कोई ऐतराज नही है। इसलिए बतौर फोर्मल पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है। ताकि दावां दायरी व निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानुनन खामी ना रहे। दावा हाजा के लिये वाद कारण दिनांक 01/05/2024 को तब पैदा हुआ जब वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में भूमि का रकबा मौके पर मौजूद खसरा नम्बर से हट कर दर्ज है तब वादकारण अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। (क) वाद पत्र कि मद संख्या 8 में दर्ज अनुसार प्रत्येक खातेदार को वाद पत्र में दर्ज वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रत्येक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के उपरोक्त राजस्व रिकोर्ड को निम्न सजरानुसार दुरूस्त किया जाकर व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त के अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कि जाकर मौके व हाल खसरा न 433, 434, 4936/468 कि वास्तविक वस्तु स्थिती के अनुसार राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें। (ख) अन्य सिद्धी जो भुल से चाही जाने से रह गई हो वादी के हक में हो हस्व कायदा अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी को दिलवाई जावें।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 5 लगायत 10 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद वादी वाद के अनुसार डिकी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अन्य प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार करवाई गई। शेष प्रतिवादीगण न्यायायल में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपना चीफ शपथ पत्र पी.डबलू. 1 प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि दौराने पैमाईश राजस्व रिकार्ड दर्ज किए जाने पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाल खसरा नं. 433 रकबा 0.4500 हेक्टेयर, हाल खसरा नं. 434 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, हाल खसरा नं. 4936/468 रकबा 1.4315 हेक्टेयर दर्ज किए। चूंकि उक्त खसरा नं. में दर्ज रकबा सहवन से दर्ज किए जाने पर हाल खसरा नं. में दर्ज भूमि मौके पर वास्तविकता से हट कर दर्ज की है दौराने पैमाईस दर्ज रकबा का उपरोक्त हाल खसरा नम्बर की मौके पर मौजूद भूमि के क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है सहवन से दर्ज रकबा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के हितो पर प्रतिकूल असर डालता है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि भूमि गत खसरा नम्बर 158/1653 तथा 168/1653 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 433 रकबा 0.4500 है0, 434 रकबा 0.03 है0, 4936/468 रकबा 1.52 है0 बने हैं, जो पत्रावली के संलग्न नक्शे का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि खसरा नम्बरान में रकबे का अंकन सही नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 433 का रकबा नक्शे के अनुसार 0.03 है0, 434 का रकबा 1.52 है0 व खसरा नम्बर 168/1653 का 0.45 है0 होना प्रतीत होता है। इसी अनुसार वादी ने रिकार्ड दुरूस्ती चाही है। खसरा नम्बर 168/1653 रकबा 0.45 है0 में से 0.0885 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हेतु अवाप्त की गई है जिससे शेष रकबा 0.3615 हैक्टर है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय मत पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वादी वादी सिद्ध होने से स्वीकार किया जाकर कस्बा झुन्झुनू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 433 रकबा 0.4500 है0 के स्थान पर 0.03 है0, खसरा नम्बर 434 रकंबा 0.003 है0 के स्थान पर 1.52 है0, खसरा नम्बर 4936/468 रकबा 1.52 है0 के स्थान पर 0.3615 है0 (0.45 है0 भूमि में से 0.0885 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 हेतु अवाप्त की गई है) दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं शेष जमाबंदी अंकन बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

7/11/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner